न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१३ निगरानी R. 2106-I/13

फरीदाबी पति शब्बीरखॉं मेवाती निवासी मल्हारगढ़
जिला मन्दसौर (म०प्र०)

.........आवेदक

विरूद्ध

०१. एहमदखॉं पिता नवीनूरखॉं मेवाती
०२. उमरखॉं पिता यासिनखॉं मेवाती
०३. मोहम्मदहुसेन पिता अकबर खॉं
०४. शब्बीरखॉं पिता नवीनुरखॉं समस्त निवासीगण
मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर (म०प्र०)

.............अनावेदकगण

पुनरीक्षण अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर के प्रकरण क्रमांक २३/अपील/११.१२ में पारित आदेश दिनांक १२.०२.१३ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर नकल के दिन मुजरा करने पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करती है।

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा ५० म.प्र.भू.रा.संहिता

०१. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय द्वारा अनावेदक एक लगायत तीन द्वारा प्रस्तुत अपील बिना किसी उचित एवं वैध आधार के लगभग २६ साल ६ माह पश्चात प्रस्तत की गई अपील को अन्दर अवधि मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने महान वैधानिक त्रुटि की है।

०३. यह कि आवेदिका का विवादित भूमि पर दिनांक ०२.०७.८६ को बिक्रय पत्र के आधार पर पंजी क्रमांक १८३ वर्ष १९८६ के माध्यम से नामान्तरण किया गया हे इसके विरूद्ध अनावेदक एक लगायत तीन ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक १४-०२-१२ को अपील प्रस्तुत की गई व उक्त अपील को बिना किसी वैधानिक आधार के अन्दर अवधि मान्य कर ली गई इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकारविहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2006-एक/13 **जिला** - मंदसौर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	